

Form No. 111

फर्द अहकाम

नियम 20

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

मुकाम - खेरवाडा

बाबुलाल वगैरे

बनाम

कान्ति पिता खोना वगैरे

188 R-T Act

नं. 31/2017 सत्र

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

14-11-2017

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर उत्प्रेषण की जावे हेतु सम्मत जारी किए जायें। पत्रावली दिनांक 06-12-2017 को प्रेषित।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

6-12-17

भ्रावला पेश हुई। वादी-प्रातिवादी उपास्थित। पीठासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/ ~~अपेक्षा~~ ~~प्र~~ होने से प्रत्यक्ष दिनांक 19-1-18 को पेश होंगे।

रि
सी

19-1-18

पत्रावली प्रेषित हुई। पत्रावली में वादी कंप नारी अधिकार अंगु प्रसिद्ध है। पत्रावली में वादी कंप अधिकार को तीन बार आवज कराई गई, फिर भी उपरिपत्र नहीं हुआ। पत्रावली में आरोप 9 निपट 3 के तहत अदम हुआ अदम पैरवी में वाद खारिज किया जा रहा है। निर्णय पहले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली प्रेषित हुआ है। दर्ज नम्बर में कस होकर सबलि उपलब्ध है।